भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 54
दिनांक 25.06.2019/4 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

'फणि' चक्रवात से क्षति

†*54. डॉ॰ सुकान्त मजूमदारः
श्री गजानन कीर्तिकरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रचंड चक्रवातीय तूफान 'फणि' ने देश के अनेक हिस्सों को प्रभावित किया है;
(ख) यदि हां, तो किसानों/मछुआरों पर चक्रवात का क्या प्रभाव पड़ा और इससे हुई हानि का ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से राज्य इससे अत्यधिक प्रभावित हुए तथा संपत्ति, फसलों, मत्स्यन उपकरणों के नुकसान का ब्यौरा क्या है और राज्य-वार कितने लोग मारे गए, घायल हुए और लापता हो गए;
(ग) एनडीआरएफ और ओडीआरएएफ के कितने कार्मिक तैनात किए गए तथा कितने लोगों को बचाया गया;
(घ) क्या सरकार ने क्षति के आकलन के लिए केन्द्रीय दल भेजा है और यदि हां, तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित तत्संबंधी राज्य-वार क्या परिणाम रहा और फसल हानि तथा क्षति के लिए किसानों हेतु कितनी धनराशि के आवंटन की सिफारिश की गई है, प्रभावित राज्यों द्वारा कितनी राहत राशि मांगी गई है और सरकार द्वारा राज्य-वार किसानों और मछुआरों को कितनी सहायता और क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है/प्रदान किए जाने की संभावना है;
(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार की आपदाओं के कारण होने वाली हानियों को न्यूनतम करने के लिए केंद्र/राज्य सरकारों के सभी संबंधित विभागों के समन्वय हेतु कौन से कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और
(च) क्या सरकार द्वारा राज्यों को प्रत्येक वर्ष प्रभावित करने वाले चक्रवात के प्रकोप से लड़ने हेतु किसानों को नवीनतम प्रौद्योगिकी समर्थन तथा वित्तीय समर्थन के साथ स्थायी समाधन निकालने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>दिनांक 25.06.2019 का लोक सभा ता. प्र. सं. 54</u>

"फोनी चक्रवात से क्षति" के बारे में दिनांक 25 जून 2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 54 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): जी हां। चक्रवात फोनी ने तीन राज्यों ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया। प्रभावित राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, रिपोर्ट की गई हानि/क्षतियों का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	मानव जीवन की हानि	क्षतिग्रस्त हुए मकान/झोपड़ियाँ	पशुधन की हानि	प्रभावित फसल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	मछुआरों के क्षतिग्रस्त हुए नाव और जाल
ओडिशा	64	5,56,761	6,281	1,48,663	6,416 नाव और 8,828 जाल
आंध्र प्रदेश	शून्य	222	28	1,365	शून्य
पश्चिम बंगाल	शून्य	29,260	शून्य	1,12,000	शून्य

इसके अलावा, ओडिशा में सड़क, बिजली, रेलवे, दूरसंचार आदि बुनियादी ढांचे भी क्षतिग्रस्त हो गये थे।

(ग) केंद्र सरकार ने फोनी चक्रवात के दौरान तत्काल बचाव, निकासी एवं राहत उपायों के लिए आवश्यक बचाव उपकरणों के साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 71 टीमों (ओडिशा में 50 टीमें, आंध्र प्रदेश में 12 टीमें, पश्चिम बंगाल में 09 टीमें) की तैनाती के साथ पूर्ण लोजिस्टिक्स सहायता प्रदान की है। इसी तरह, ओडिशा राज्य सरकार ने ओडिशा आपदा त्वरित कारवाई बल (ओडीआरएएफ) की 20 टीमों को तैनात किया। जन हानि को रोकने के लिए, ओडिशा में रिकॉर्ड संख्या में 15,57,170 लोगों, आंध्र प्रदेश में 17,460 लोगों और पश्चिम बंगाल में 2,34,801 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

(घ) प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संस्थागत तंत्र मौजूद हैं। यद्यपि आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, फिर भी केंद्र सरकार राज्यों को स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए सभी संभव लोजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संबंधित राज्य सरकारें चक्रवात सहित प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर नुकसान का आंकलन करती हैं और उनके पास पहले से मौजूद राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) से वित्तीय राहत प्रदान करती है। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रक्रिया में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर किए जाने वाले मूल्यांकन शामिल है। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के तहत वित्तीय सहायता राहत के तौर पर प्रदान की जाती है और यह नुकसान/दावे के मुआवजे के तौर पर नहीं दी जाती है ।

राज्यों के प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए, केंद्र सरकार ने दिनांक 29 अप्रैल 2019 को एसडीआरएफ से 1086 करोड़ रूपये (ओडिशा को 340.875 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश को 200.25 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल को 235.50 करोड़ रुपये और तमिलनाडु को 309.375 करोड़ रुपये) की सहायता अग्रिम तौर पर जारी की है। "फोनी" चक्रवात के बाद माननीय प्रधान मंत्री के ओडिशा दौरे के अनुसरण में केंद्र सरकार ने दिनांक 7 मई 2019 को ओडिशा सरकार को 1000 करोड़ की अतिरिक्त राशि जारी की है।

वर्तमान मामले में, ओडिशा राज्य सरकार से ज्ञापन प्राप्त होने से पहले ही, आईएमसीटी ने दिनांक 12 मई से 15 मई, 2019 तक नुकसान के त्वरित आंकलन के लिए राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। ओडिशा राज्य चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हुआ था और उसने 5227.68 करोड़ रूपये की सहायता के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। आईएमसीटी ने चक्रवात 'फोनी' के कारण हुए नुकसान का स्थल पर आकलन करने के लिए 20 से 22 जून, 2019 तक राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का पुनः दौरा किया। आईएमसीटी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर,एनडीआरएफ के तहत आगे की वित्तीय सहायता पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाएगा।

(ङ): मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) प्रमुख आपदाओं के दौरान निगरानी और समन्वय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नोडल निकाय है। "फोनी" चक्रवात के दौरान, मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में एनसीएमसी ने 29 अप्रैल से 10 मई के दौरान दैनिक आधार पर 11 बैठकें कीं तथा प्रभावित राज्यों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों के साथ स्थिति की निगरानी की और समन्वय किया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सभी प्रभावित राज्यों को नियमित सटीक पूर्वानुमान और चेतावनी बुलेटिन जारी किए।

(च): भारत ने अपने निरंतर प्रयासों से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की अपनी तैयारियों में उल्लेखनीय सुधार किया है। हमारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) को विकास योजनाओं की मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता को रेखांकित करता हैं। आपदा प्रबंधन सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य एक सुरक्षित और आपदा-सक्षम भारत का निर्माण करना है।

प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए उपयुक्त तैयारी और शीघ्र कार्रवाई तंत्र विकसित करने के लिए देश में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने एक सुदृढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की है और मौसम के पूर्वानुमान की सटीकता को उल्लेखनीय रूप से बढाया है। पूर्वानुमान एजेंसियां चेतावनी और प्रसार प्रणालियों में सुधार के लिए जोर शोर से अपने प्रयास कर रही है। प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों/किसानों को शिक्षित करने के लिए नियमित रूप से मॉक अभ्यास और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

तटीय समुदाय जो कि आमतौर पर गरीब हैं और विभिन्न प्रकार की आपदाओं से सशंकित रहते हैं, की पीड़ा को कम करने के लिए 4903 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (एनसीआरएमपी) 8 तटीय राज्यों में कार्यान्वयन के अधीन है। इस परियोजना के तहत बनाए गए चक्रवात आश्रय और शुरुआती चेतावनी प्रणाली वर्ष 2013 में "फेलिन" चक्रवात, वर्ष 2014 में "हुद-हुद", वर्ष 2018 में "तितली" और हाल ही में "फोनी" चक्रवात के दौरान अत्यंत मददगार साबित हुई।

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों से आपदा प्रबंधन प्रथाओं, तैयारियों, रोकथाम और कार्रवाई तंत्र में काफी सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप देश में चक्रवात सहित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हताहतों की संख्या में पर्याप्त कमी आई है। इसके अलावा, आपदा प्रबंधन को मजबूत करना शासन की सतत और उत्तरोत्तर प्रक्रिया है।

******